

==प्रेस विज्ञप्ति==


मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./951/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./17 भोपाल, दिनांक 02.02.2017 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा से जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप/अर्हताएं संविदा की शर्तें परिषद् मुख्यालय, भोपाल की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर भी दिनांक 03.02.2017 से उपलब्ध रहेंगी। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिषद् द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

पद का नाम	पद संख्या	निश्चित संविदा पारिश्रमिक	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी	09	रूपये 27,830/- (पद कोड- PO-1)	एम.बी.ए. (ग्रामीण विकास/वन प्रबंधन) अथवा कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा भू विज्ञान/भू जल विज्ञान/समाज कार्य में स्नातकोत्तर	जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यो अथवा वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना एवं क्रियान्वयन में शासकीय संस्थान का 05 वर्ष का अनुभव

आवेदन पत्र दिनांक 13.2.2017 को सायं 5.30 बजे तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय, 59, द्वितीय तल "सी" ब्लाक, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में जमा किए जा सकते हैं।


02/2/17
(लक्ष्मी चौधरी)

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल


==प्रेस विज्ञप्ति का विवरण==
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
 नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./951/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./17 भोपाल, दिनांक 02.02.2017 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा से जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप/अर्हताएं संविदा की शर्तें परिषद मुख्यालय, भोपाल की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर भी दिनांक 03.02.2017 से उपलब्ध रहेंगी। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिषद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

पद का नाम	पद संख्या	निश्चित संविदा पारिश्रमिक	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी	09	रूपये 27,830/- (पद कोड- PO-1)	एम.बी.ए. (ग्रामीण विकास/वन प्रबंधन) अथवा कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा भू विज्ञान/भू जल विज्ञान/समाज कार्य में स्नातकोत्तर	जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यो अथवा वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना एवं क्रियान्वयन में शासकीय संस्थान का 05 वर्ष का अनुभव


- आवेदन पत्र दिनांक 13.2.2017 को सायं 5.30 बजे तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, 59, द्वितीय तल "सी" ब्लॉक, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में जमा किए जा सकते हैं।
- पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिषद मुख्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है/संपूर्ण विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है।
- परिषद की वेब साईट पर उपलब्ध आवेदन पत्र का प्रारूप ही मान्य होगा। आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरा होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
- चयन के संबंध में परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- परिषद् को अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को अथवा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।
- साक्षात्कार/काउंसलिंग हेतु तिथि/समय/स्थल पर अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा। उक्त तिथि/समय/स्थल में आवेदक की मांग अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- साक्षात्कार/काउंसलिंग के दौरान शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का अतिरिक्त एक सेट साथ लावें।


02/2/17
(लक्ष्मी चौधरी)

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

संविदा नियुक्ति की शर्तें


1. आवेदक की आयु दिनांक 1/1/2017 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का नियमितकरण संबंधी कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता – एम.बी.ए. (ग्रामीण विकास/वन प्रबंधन) अथवा कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा भू विज्ञान/भू जल विज्ञान/समाज कार्य में स्नातकोत्तर।
4. जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यो अथवा वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना एवं क्रियान्वयन में शासकीय संस्थान का 05 वर्ष का अनुभव।
5. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।
6. संविदा की कालावधि नियुक्त तिथि से 01 वर्ष के लिए रहेगी जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। नियोक्ता आवश्यकता के आधार पर संविदा अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को तालिका में दर्शाए अनुसार मासिक निश्चित संविदा पारिश्रमिक देय होगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा यदि नियोक्ता द्वारा संविदा अवधि से पूर्व समाप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा संविदा पारिश्रमिक देय होगा।
9. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या विभाग को नहीं देगा तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
10. संविदा अवधि के दौरान अन्य संस्था में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबंध होगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य भी संपादित करने होंगे।
12. संविदा नियुक्ति की परिस्थिति में अजा/अजजा एवं पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं तथा अन्य श्रेणियों के लिए म.प्र. शासन के आरक्षण नियम प्रभावशील होंगे।
13. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/काउंसलिंग में बुलाये जाने पर पात्रता अनुसार आने जाने का किराया नियमानुसार परिषद् द्वारा दिया जायेगा।
14. संविदा नियुक्ति के संदर्भ में म.प्र. शासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश बन्धनकारी होंगे।
15. संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान परिषद् को अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन एवं संपूर्ण प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
16. चयनित अथ्यर्थी को संविदा में नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करारनामा निष्पादित कर 3 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि का बॉण्ड अनुबंध भरना होगा। यदि वह नियत संविदा अवधि पूर्व पद से त्याग पत्र देकर अन्यत्र पद भार ग्रहण करता है तो उसे उक्त अनुबंध/बॉण्ड में उल्लेखित राशि शासन में जमा करनी होगी। अनुबंध से संबंधित समस्त व्यय उम्मीदवार को वहन करना होगा।
17. संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के, बिना पूर्व सूचना के कर्तव्य से लगातार एक माह से अधिक समयावधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा आवेदक से अनुबंध में उल्लेखित राशि वसूली जावेगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।


(लक्ष्मी चौधरी)

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

Application form

1. Name of Post Applied :
2. Post Code :
3. Name of applicant :
4. Father/Husband's name :
5. Date of Birth : (Age as on 01.01.17) Yr.. . . . Month.. . . . Day
(Enclose Certificate)
6. Home District :
- Category (Please Tick) General/OBC/SC/ST - Handicapped/ Ex -Servicemen
(Enclose Certificate)
7. Educational Qualification :- (Enclose self attested certificates)



Post Graduate / Graduate/Diploma

Sl.No.	Name of Exam.	Name of Institution/Board	Year	Percentage	Div.	Grade

9. Details of Experience :-

Post Held	Name of Organisation	From	To	Total Years/Month	Details of works done	Monthly Salary

10. Present place of posting & Designation :
- :
- :

Signature of applicant:

11. Present Postal address.

.....
.....

12. Permanent address

.....
.....
.....

Telephone no./Mobile No.

E-Mail

(Mandatory)

Declaration

I hereby declare that any court case of any nature is not pending against me nor any major penalty was ever imposed against me. Information given by me is true to the best of my knowledge & belief. My selection may be cancelled and appropriate action may be taken, if information furnished by me is found incorrect.

Signature of applicant:

Name of applicant:

Date :

Place :